



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**लखनऊ**  
**जनहित याचिका संख्या – 168/ 2026**

पवन कुमार सिंह

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सिविल सचिवालय,  
लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राहुल कुमार शुक्ला, अभय द्विवेदी, शिवम श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय, शैलेंद्र सिंह चौहान

**न्यायालय संख्या – 17**

**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार शुक्ला, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास कुमार राय और विपक्षी संख्या 2-नगर आयुक्त, लखनऊ के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह चौहान को सुना गया।
2. जनहित में दायर इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को विपक्षी संख्या 6 द्वारा ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या 1109, ग्राम- नटकुर, परगना- बिजनौर, तहसील- सरोजिनी नगर, जिला- लखनऊ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी करने की मांग की है। यह मांग सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार, सरोजिनी नगर, लखनऊ द्वारा वाद संख्या 121 में, उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122ख के अंतर्गत दिनांक 04.08.2017 को पारित बेदखली आदेश के अनुपालन में की गई है। उपरोक्त आदेश विपक्षी संख्या 6 को सुनने और उनके द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार करने के बाद पारित

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

किया गया था। आदेश में विपक्षी संख्या 6 को 0.100 हेक्टेयर माप वाली गांव सभा भूमि से बेदखल करने और क्षतिपूर्ति के रूप में 15,000/- रुपये तथा वादव्यय के रूप में 2,000/- रुपये की वसूली का निर्देश दिया गया है।

3. दिनांक 22.01.2022 को लेखपाल ने पुलिस थाना- बिजनौर, जिला- लखनऊ मध्य, कमिश्नरेट लखनऊ में विपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 9/2022 दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 447 और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा के अंतर्गत अपराध करने के लिए दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2017 के बावजूद, विपक्षी संख्या 6 गांव सभा की भूमि पर निर्माण कार्य कर रहा था।

4. उप जिलाधिकारी, सरोजिनी नगर, लखनऊ द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि राजस्व अधिकारियों और नगर निगम की एक संयुक्त टीम ने विवादित भूमि का निरीक्षण किया है और 28.02.2026 को इसका सीमांकन किया है। टीम ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाया है जिसका सीमांकन कर दिया गया है।

5. जब उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122ख के अंतर्गत कार्यवाही में विपक्षी संख्या 6 को सुनने के बाद सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2017 को पहले ही एक आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें ग्राम- नटकुर, परगना- बिजनौर, तहसील- सरोजिनी नगर, लखनऊ में स्थित 0.100 हेक्टेयर माप वाली सार्वजनिक भूमि गाटा संख्या 1109स से विपक्षी संख्या 6 की बेदखली का आदेश दिया गया है और उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति एवं वादव्यय की वसूली का भी आदेश दिया गया है, उपरोक्त आदेश के बावजूद सार्वजनिक भूमि पर निर्माण करने के लिए उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और फिर भी आज तक आदेश का निष्पादन नहीं किया गया है, और जब राजस्व अधिकारियों तथा लखनऊ नगर निगम द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण में यह तथ्य प्रकट हुआ है कि विपक्षी संख्या 6 ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है।

6. तदनुसार, इस याचिका को विपक्षी संख्या 2 से 5 को यह निर्देश जारी करते हुए **निस्तारित** किया जाता है कि वे वाद संख्या 121 "गांव सभा बनाम बजरंग सिंह" में धारा 122ख के अंतर्गत सहायक कलेक्टर प्रथम



श्रेणी/तहसीलदार, सरोजिनी नगर, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 04.08.2017 के आदेश का निष्पादन, विधि के अनुसार, तत्परतापूर्वक, आज से चार सप्ताह की अवधि में सुनिश्चित करें।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

11 मार्च, 2026

प्रदीप

Translated version. Not for legal use.